न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2016RAAJu223RTA090 Bhimsingh n ors Vs Ghevarram etc

1. भीमसिंह पुत्र राजूसिंह पुरोहित
2. मांगीलाल पुत्र राजूसिंह पुरोहित
3. मदनसिंह पुत्र राजूसिंह पुरोहित
   निवासीगण ग्राम हिंगोला तहसील लूणी
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
2. जीताराम पुत्र नराराम मेघवाल
3. लालाराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम राबडिया तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
4. दीपसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह पुरोहित
5. मोहनसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह पुरोहित
6. जवाहरसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह पुरोहित
7. फुसाराम पुत्र फौजराजसिंह पुरोहित
8. ओमसिंह पुत्र फौजराजसिंह पुरोहित
9. बाबूसिंह पुत्र फौजराजसिंह पुरोहित
   निवासीगण ग्राम हिंगोला, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
10. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 10 मई 2016 राजस्व वाद संख्या 5/2012 घेवरराम व अन्य बनाम भीमसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री महेन्द्र प्रसाद गेंवा, अधिवक्ता, रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 23 अक्तू., 2019

विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 5/2012 घेवरराम व अन्य बनाम भीमसिंह आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2016 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 सितम्बर 2016 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद राजस्व ग्राम राबडिया तहसील लूणी स्थित आराजी खसरा संख्या 199 रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा बारानी सोयम के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज का कब्जा चला आ रहा है और मौके पर ढाणियां व टोंके बने हुए थे मगर वक्त सेटलमेण्ट भू-प्रबंध कर्मचारियों/अधिकारियों की त्रुटि के कारण यह भूमि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पूर्वज के नाम संवत 2012 खतौनी बंदोबस्त में दर्ज हो गयी, इसकी जानकारी होने पर वादीगण की पूर्वज द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज को त्रुटिसुधार कराने हेतु कहा गया, जिसके लिए प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा समय-समय पर आश्वासन भी दिया जाता रहा, यहॉ तक कि एक कच्ची लिखत भी राजूसिंह पुत्र भभूतसिंह, चुन्नीलाल सिंह पुत्र नैनसिंह एवं फौजरामसिंह पुत्र धूलसिंह ने संवत 014 में लिख कर दे दी कि खसरा संख्या 199 रकबा 40 बीधा 17

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिस्वा किस्म बारानी सोयम पर नैनिया पुत्र हेमा भांभी गांव हिंगोला का कब्जा काश्त है, गलती से हमारे नाम चढ गया है, यह खेत नैनिया का है, हमारी इस खेत बाबत कोई उजदारी नहीं है।

वाद में आगे जाहिर किया गया कि वादीगण के पूर्वज अनपढ थे और इस कारण मात्र उस कच्ची लिखत पर ही विश्वास कर लिया। मगर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बात को नहीं निभाया गया और वर्तमान में वादग्रस्त आराजी तृतीय पक्ष को बेचान करने पर आमदा है, अतः वाद पेश करना पडा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 13 जनवरी 2012 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन की ओर से दिनांक 14 जून 2012 को उक्त वाद का लिखित जबाब एवं काउण्टर क्लेम पेश कर खण्डन किया गया और वादग्रस्त आराजी में ½ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का है, राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, मौके पर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन का कब्जा काश्त पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का है, जिन्होंने अपना हिस्सा वादीगण को बुवाई के लिए दे रखा है। चूंकि अब वादीगण सम्पूर्ण रकबे बाबत ही विवाद करने लगे है, इसलिए वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु यह काउण्टर क्लेम पेश करना नितान्त आवश्यक हो चुका है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से जबाब के लिए प्रकरण विचाराधीन चलने के दौरान दिनांक 06 मई 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा आयन्दा पेशी दिनांक 10 मई 2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियाान न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट लूणी में निर्णित करते हुए वाद स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद की पत्रावली प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन के जबाब दावा एवं काउण्टर-क्लेम पेश किये जाने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के जबाबदावे हेतु लम्बित चल रही थी, दिनांक 6 मई 2016 को प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर आगामी पेशी गवाह व बहस दिनांक 10 मई 2016 मुकर्रर की गयी। 10 मई 2016 को बिना किसी सूचना प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट लूणी में रखा जाकर निर्णित कर दिया गया। मामले में कोई गवाह, साक्ष्य, दस्तावेज आदि कुछ भी पेश नहीं हुए, न ही उपलब्ध जबाबदावे एवं वादीगण के दावे के परिपेक्ष्य में कोई विवाघक कायम किया गया। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया, अतः अपीलाण्ट्स को समुचित समय में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी, इस कारण मियाद प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किये जावे।

जबाब में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से ही वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के पूर्वज के कब्जे काश्त में चली आ रही है, मौके पर उनकी ढाणियां एवं टांके आदि बने हुए है, संवत 2012 में सेटलमेण्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की भूल से यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी, संवत 2011-12 से 2018 एवं 2019-20 से 2040 तक की एवं उसके आगे की खसरा गिरदावरी भी रेस्पो. के पूर्वज एवं उसक बाद निरन्तर घेवरराम, नराराम आदि के नाम दर्ज है, गिरदावरी स्लिपें भी रेस्पो. के पक्ष में है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से चाही गयी कब्जा काश्त की रिपोर्ट भी रेस्पो. के पक्ष को ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संपुष्ट करती है। इस प्रकार जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। दिनांक 6 मई 2016 को अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी, अतः उसके बाद मूल वाद में जो भी कार्यवाही की गयी, उसके संबंध में उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई पूर्व या बाद में सूचना देने के लिए अधीनस्थ न्यायालय या वादीगण उत्तरदायी नहीं रहते है। उक्त इकतरफा कार्यवाही के आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट-प्रतिवादीगण अथवा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार कोई विधिक चाराजोई नहीं की गयी है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 27 जून 2012 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन की ओर से जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश होने के बाद आगामी तारीख-पेशी 23 जुलाई 2012 अन्य प्रतिवादीगण के जबाब हेतु मुकर्रर की गयी और प्रकरण इसी निमित्त 6 मई 2016 तक पेशी दर पेशी विचाराधीन चलती रही, यहॉ तक कि दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से 27 जनवरी 2016 एवं 4 अप्रेल 2016, 18 अप्रेल 2016 व 28 अप्रेल 2016 की दिनांक की जो आदेशिकाऍ रबर-स्टाम्प मात्र से तारीख तब्दील करते हुए पत्रावली में लिखी गयी है, उनके नीचे पीठासीन अधिकारी अथवा किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर तक नहीं है। इसके बाद अगली तारीख-पेशी दिनांक 6 मई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2016 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की कार्यशैली में यकायक चैतन्यता का संचार हो जाता है और 6 मई 2016 को प्रतिवादीगण और प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की गैरहाजरी के कारण उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित करते आगामी तारीख-पेशी 10 मई 2016 मामले में साक्ष्य एवं बहस हेतु मुकर्रर की जाती है और 10 मई 2016 को आदेशिका में ही सरसरी तौर पर खातेदारी अधिकारों से संबंधित राजस्व वाद का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम उपलब्ध था, मगर अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व न तो दावे एवं उक्त जबाबदावे के आधार पर मामले में तनकियात कायम की गयी और न ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में इनके बाबत कोई विवेचन किया गया। अन्य किसी दस्तावेज बाबत भी कोई समुचित एवं सारवान विवेचन कर उसे मानने अथवा नहीं मानने का कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। कोई भी अभिलेख प्रदर्शित कराये बगैर दावे को साबित करने का कोई आधार नहीं है।

इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं होने तथा स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर की श्रेणी में रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण समर्थन किये जाने लायक नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है, अतः मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर आंशिक तौर पर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने का अवसर प्रदान करते हुए दावे, जबाबदावे, काउण्टर क्लेम आदि के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक तनकियात कायम की जावे तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के संदर्भ में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए नये सिरे से न्यायोचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर